(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL); (a) Yes, Sir.

(b) So far, 225 Solar Pumps have been financed by the Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

Wasteland Devleopment Scheme in U.P.

1627. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA' : Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether a detailed scheme for Wasteland development was proposed to be launched in 19 districts of Uttar Pradesh;

(b) if so, the status thereof;

(c) whether the scheme has been launched; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (d) No such specific scheme named "Wasteland Development" was proposed to be launched in 19 districts of Uttar Paradesh. However, the Department of Wastelands Development is implementing an Integrated Wastelands Development Project scheme throughout the country for development of non-forest wastelands. Under this scheme area based projects are prepared and submitted by the District Rural Development Agencies for approval under the Guidelines of Watershed Development. Under this scheme, 38 project proposals under Integrated Wastelands Development Projects Scheme were received from Uttar Pradesh. Out of which 16 project proposals were sanctioned under the Guidelines for Watershed Development. Three project proposals were returned as they were not as per the Guidelines. In Four project proposals, further clarifications are awaited from DRDAs. Fifteen project proposals are under examination.

Wasteland Development Scheme

1628. SHRI N. RAJENDRAN: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) what progress has been made by National Wastelands Development Board during the last two years;

(b) the States successful in developing wastelands; and

(c) the status report on the performance of Tamilnadu State?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) and (b) The National Wastelands Development Board is implementing the following Plan Schemes for development of non-forest wastelands:—

(i) Integrated Wastelands Development Project (IWDP) Scheme

(ii) Technology Development Extension & Training (TDET) Scheme

(iii) Support to NGOs/VAs (Grants-in-Aid)

(iv) Investment Promotional Scheme (IPS)

(v) Wastelands Development Task Force (WDTF)

IWDP scheme is a flagship scheme of the Department and is being implemented on watershed basis under the new "Guidelines for Watershed Development" w.e.f. 1.4.95. Under the scheme 200 projects (128 old and 72 under new Guidelines) have been sanctioned throughout the country. In Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan and Orissa have been sanctioned a large number of projects under this scheme.

(c) In Tamilnadu 8 projects (6 old and 2 under new Guidelines) under Integrated Wastelands Development Project Scheme. 21 projects under Support to NGOs/VAs Scheme, 8 projects under Technology Development Extension & Training Scheme and 3 projects under Investment Promotional Scheme have been sanctioned up to 31.3.98.

कच्छ जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में पहचान किया जाना

1629. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** : क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े जिलों को पहचान के मानदंड और उनके अन्तर्गत विहित प्रावधान क्या हैं;

(ख) क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए हाल ही में कोई अध्यादेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित ऐसी कौन-कौन-सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उक्त जिले को प्राप्त होगा और किन उपबंधों के अन्तर्गत विशेष सहायता प्रदान की जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए 11.05.94 को काव समिति गठित की गई थी। पहले अध्ययन समूह की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दूसरा अध्ययन समूह गठित किया गया था। इन पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए सुझाए गए मानदंड के ब्यौरे और की गई सिफारिशें विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार आय कर अधिनियम औद्योगिक रूप से पिछडे जिलों के, लिए आय कर अधिनियम के खंड 80 1क के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करता है। गुजरात राज्य में डाग्स को श्रेणी "ए" का औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला माना गया है, बनासकांठा और साबरकांठा जिलों को श्रेणी "बी" के पिछड़े हुए जिले माने गए हैं।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने गांधीधाम (जिला कच्छ), पालनपुर (जिला बनासकांठा) और वागरा (जिला भड़ौच) स्थित तीन संवर्धन केन्द्रों को अनुमोदित कर दिया है। इन संवर्धन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्रों को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति के आधार पर अधिकतम 10 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा सकती है।

विवरण

पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए काव समिति द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए अर्थात्

(अ) **वित्तीय मानदण्ड**

— अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया प्रति व्यक्ति ऋण।

— अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राप्त प्रति व्यक्ति जमा राशि।

(ब) **ढांचागत मानदण्ड**

— प्रति हजार जनसंख्या में टेलीफोन।

— प्रति व्यक्ति बिजली की खपत।

— शहरीकरण (कुल जनसंख्या के अनुपात में जिले की शहरी जनसंख्या)

— प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पक्की सड़कें।

(ग) **औद्योगिक मानदण्ड**

— प्रति हजार जनसंख्या में पंजीकृत फैक्ट्रियों में श्रमिक (विद्युतीय उपक्रमों और बीड़ी और सिगार इकाइयों को छोड़कर)

— पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र से प्रति व्यक्ति सकल वर्द्धित मूल्य (विद्युतीय उपक्रमों और बीड़ी तथा सिगार इकाइयों को छोड़कर)

शंकर एन० अचार्य ग्रुप पहले दिए गए सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय औसत के आधार पर तुलना करने की सुविधा के लिए उपयुक्त भार का इस्तेमाल करते हुए सूचकांकों को एक मिश्रित अनुक्रमणिका में मिला दिया गया था।

दूसरे समूह ने पता लगाया कि कोई समूह जिसका कुल मिश्रित सूचकांक 1500 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 250 अथवा उससे कम था, को पिछड़े जिले के रूप में अधिसूचित किया जाना था। समूह ने यह भी सिफारिश की कि विशेष श्रेणी वाले जिलों, जहां कोई रेल सेवा नहीं है अथवा जो दुर्गम